भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2446

दिनांक 13 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

लिंगानुपात में असंतुलन को दूर करने के लिए योजनाएँ/कार्यक्रम

2446. **श्री दर्शन सिंह चौधरी:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में लिंगानुपात असंतुलन की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं;

(ख) देश में वर्तमान लिंगानुपात की स्थिति क्या है तथा पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में इसमें क्या परिवर्तन दर्ज किए गए हैं;

(ग) लिंगानुपात में असंतुलन के कारणों का ब्यौरा क्या है;

(घ) कन्या भ्रूण-हत्या, लैंगिक भेदभाव तथा अन्य सामाजिक कुरीतियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) उक्त योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रभाव का आकलन करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से निगरानी एवं मूल्यांकन तंत्र स्थापित किए गए हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ङ): सरकार देश में बालिकाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इस उद्देश्य से सरकार ने बालिकाओं के शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना 22 जनवरी 2015 को बाल लिंगानुपात(सीएसआर) और जीवन चक्र के दौरान बालिकाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों का समाधान करने में सहायता के लिए शुरू की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना एक नीतिगत पहल से एक राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तित हो गई है, जिसमें सरकारी एजेंसियों, समुदायों, मीडिया, नागरिक समाज और आम जनता सहित विभिन्न हितधारकों को एकजुट किया गया है। इस आंदोलन का उद्देश्य न केवल

लिंगानुपात और लैंगिक आधारित भेदभाव से संबंधित तात्कालिक चिंताओं को दूर करना है, बल्कि बालिका को महत्व देने और उसके अधिकारों और अवसरों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक सांस्कृतिक बदलाव को बढ़ावा देना भी है। यह योजना सभी हितधारकों को सूचित करने, प्रभावित करने, प्रेरित करने, शामिल करने और सशक्त बनाने के माध्यम से बालिका के प्रति मानसिकता और व्यवहार में बदलाव लाने पर केंद्रित है।

विशेषकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं और महिलाओं के जीवन को आसान बनाने के लिए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.8 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई एक लघु बचत योजना है, जो उच्च ब्याज दर प्रदान करती है। समग्र शिक्षा, प्री-स्कूल से बारहवीं कक्षा तक स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में सहायता करती है। यह प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा, मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान, व्यापक और समावेशी पाठ्यक्रम, शिक्षा के परिणामों में सुधार, सामाजिक और लैंगिक भेदभाव कम करने और सभी शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन को सुनिश्चित करने पर जोर देती है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का उद्देश्य बारहवीं कक्षा तक की बालिकाओं के लिए आवासीय स्कूल शिक्षा की सुविधा प्रदान करके स्कूल शिक्षा में लैंगिक और सामाजिक श्रेणी के भेदभाव को कम करना है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों और बीपीएल परिवारों की 10-18 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं को शामिल किया जाता है।

किशोरियों के लिए योजना को 01.04.2022 से मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत समाहित कर लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत लक्षित लाभार्थी आकांक्षी जिलों और सभी पूर्वोत्तर राज्यों की 14-18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियां हैं।

विज्ञान ज्योति कार्यक्रम लैंगिक संतुलन में सुधार लाने के लिए बालिकाओं को एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित) क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त करने और करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह कार्यक्रम कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की मेधावी बालिकाओं को लक्षित करता है और इसमें छात्र-अभिभावक परामर्श, करियर परामर्श, अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता कक्षाएं, टिंकरिंग गतिविधियाँ, विशेष व्याख्यान, वैज्ञानिक संस्थानों, प्रयोगशालाओं, उद्योगों का दौरा और विज्ञान शिविर तथा कार्यशालाएं शामिल हैं।

एकल बालिका संतान सहित बालिकाओं की आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, सरकार ने व्यापक कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौशल भारत मिशन शुरू किया है। सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत देश भर में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र भी स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत महिलाओं को कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

इसके अलावा, पीएमकेवीवाई 4.0 उन परियोजनाओं को प्राथमिकता देता है जो महिलाओं को प्राथमिक लाभार्थी के रूप में महत्व देती हैं। यह समावेशी दृष्टिकोण देश भर के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व और लाभ सुनिश्चित करता है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसके अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह रोज़गार और स्वरोज़गार के लिए ग्रामीण परिदृश्य को बदल रहे हैं। इसी प्रकार, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन शहरी क्षेत्रों के लिए है। इसके अलावा, रोज़गार/स्वरोज़गार और ऋण सुविधाएँ प्रदान करने के लिए स्टैंड-अप इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) जैसी योजनाएँ भी हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत अधिकांश लाभार्थी महिलाएँ हैं।

वर्ष 2017 में, मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन करके पहले दो बच्चों के लिए सवैतनिक मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। यह अधिनियम महिला कर्मचारियों के लिए सवैतनिक मातृत्व अवकाश और पचास या इससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी प्रतिष्ठानों में निर्धारित दूरी के भीतर शिशु देखभाल (क्रेच) सुविधा का प्रावधान भी करता है।

स्टैंड-अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक के ऋण उपलब्ध कराना था। यह ऋण प्रत्येक बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता और ऋण लेने वाली एक महिला उधारकर्ता को कृषि से संबंधित गतिविधियों सहित विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम (ग्रीनफील्ड) स्थापित करने के लिए दिया जाना था। इस योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) जैसी योजनाएं महिलाओं को अपने उद्यम स्थापित करने में सहायता करने के लिए शुरू की गई हैं।

जमीनी स्तर पर महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से, सरकार ने संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में कम से कम 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं में 12.06 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि (ईडब्ल्यूआर) हैं, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का लगभग 49.75% हैं।

देश में महिला सशक्तिकरण और सर्वोच्च राजनीतिक पदों पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व की दिशा में सबसे बड़ा कदम सरकार द्वारा 28 सितंबर, 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 (संविधान एक सौ छठा संशोधन) की अधिसूचना जारी करना रहा है, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं, जिसमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा भी शामिल है, में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित की गई हैं।

मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों को मजबूत करना है।

मिशन शक्ति की दो उप-योजनाएं अर्थात् महिलाओं की सुरक्षा के लिए "संबल" और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए "सामर्थ्य"। 'संबल' में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) और नारी अदालत शामिल हैं। 'सामर्थ्य' में शक्ति सदन, सखी निवास, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पालना और संकल्प: महिला सशक्तीकरण केंद्र (संकल्प: एचईडब्ल्यू) शामिल हैं।

भारत सरकार ने बालिकाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने और लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए कई योजनाओं और पहलों के माध्यम से एक व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। इन उपायों

का सामूहिक उद्देश्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, रोजगार क्षमता में सुधार करना, उद्यमिता को बढ़ावा देना और महिलाओं के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात 2014-15 में 918 से बढ़कर 2024-25 में 929 हो गया है।

इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गर्भाधारण पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 को कार्यान्वित करता है, जिसका उद्देश्य भ्रूण के लिंग का पता लगाने और उसे प्रकट करने की क्षमता रखने वाली तकनीकों के उपयोग को विनियमित करना है। यह अधिनियम, गर्भाधान से पहले या बाद में लिंग चयन पर रोक लगाने, आनुवंशिक असामान्यताओं, चयापचय संबंधी विकारों या गुणसूत्र संबंधी असामान्यताओं या कुछ जन्मजात विकारों या लिंग-संबंधी विकारों का पता लगाने के उद्देश्य से प्रसवपूर्व निदान तकनीकों को विनियमित करने, और कन्या भ्रूण हत्या की ओर ले जाने वाले लिंग निर्धारण के लिए उनके दुरुपयोग को रोकने, तथा इससे संबंधित या इससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था।

पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम एक केंद्रीय कानून है जिसे सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समान रूप से क्रियान्वित किया जाता है ताकि लैंगिक-भेदभाव आधारित लिंग-चयनात्मक पद्धतियों पर अंकुश लगाया जा सके और लिंग-संवेदनशील नीतियों, जागरूकता सृजन और विधायी उपायों के माध्यम से बालिका के लिए एक सकारात्मक वातावरण को बढ़ावा दिया जा सके।

गर्भाधारण पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम(पीसी एंड पीएनडीटी) के प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपाय निम्नलिखित हैं:

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम के संबंध में जागरूकता और क्षमता निर्माण हेतु सहायता प्रदान करना।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने और लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने हेतु सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) तथा जागरूकता गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एमओएचएफडब्ल्यू ने अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले ऑनलाइन विज्ञापनों की निगरानी और उन्हें हटाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए एक 'नोडल एजेंसी' का गठन किया है।
- पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन को और सुदृढ़ करने हेतु केंद्र, राज्यों और जिलों द्वारा विभिन्न संस्थागत तंत्रों जैसे कि सामान्य समीक्षा मिशन दौरे, निरीक्षण एवं निगरानी दौरे के माध्यम से नियमित समीक्षा एवं मूल्यांकन किया जाता है।

पीसीपीएनडीटी से संबंधित विस्तृत जानकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 में नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है:

- https://mohfw.gov.in/?q=en/publications-12

****